रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941
No. 1793] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

का. आ.2005(अ).—केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड', (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड), बंगलुरू, (पैन: एएएएलसी0093एम) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) द्वारा केन्द्र/राज्य/गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) या किसी अन्य सांविधिक निकाय से प्राप्त अनुदान/निधियां;

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) की चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री, निपटान, नीलामी या अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजा;

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी(टेक्नॉलाजी) पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए प्राप्त रायल्टी या अन्य कोई आय;

(घ) सरकारी संविधियों के तहत एकत्रित शास्तियां और उद्ग्रहण(लेवी);

(ड.) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 42) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948(1948 का LXI) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई सेवाओं के कारण प्राप्त फीस/प्रभार/प्राप्ति. और

(च) उपरोक्त (क) से (ड.) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलुरू,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी. तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 45 /2019/फा. सं.300196/3/2019-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2019

S.O.2005(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Silk Board', Bengaluru, PAN: AAALC0093M a Board constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:—

(a) Grants/Funds received from the Centre/State/NGO or any other Statutory body by Central Silk Board;

(b) Compensation received on account of sale, disposal, auction or acquisition of movable and immovable properties of Central Silk Board;

(c) Royalty or any other income received for the technologies patented and intellectual property rights owned by Central Silk Board;

(d) Penalties and Levies collected under Government Statutes;

(e) Fees/charges/ receipt received on account of services rendered by Central Silk Board as per the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) as amended by the Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (42 of 2006) and the Central Silk Board Rules, 1955 as amended by the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2015; and

(f) Interest earned on (a) to (e) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Central Silk Board, Bengaluru,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the assessment year 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024.

[Notification No. 45/2019/ F.No.300196/3/2019-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.21 18:21:43 +05'30'